न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 169/12/टीआई

महेन्द्रसिंह दतक पुत्र गोपाल सिंह उम्र 31 वर्ष जाति राजपूत निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

–आवेदक/प्रार्थी

ब ना म

1. गोपालसिंह पुत्र भोपालसिंह उम्र व्यस्क
2. मोहनसिंह पुत्र पाबूदानसिंह उम्र व्यस्क
3. कल्पनाकंवर उम्र व्यस्क | पुत्रियां गोपालसिंह
4. करूणाकंवर उम्र व्यस्क |
5. कर्माकंवर उम्र व्यस्क |

   समस्त जाति राजपूत निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
7. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

–अनावेदकगण/अप्रार्थीगण

<u>आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अं.धारा 212 राज.का.अधि.</u>

उपस्थिति–

1. श्री नंदलाल धायल वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री भवानीसिंह शेखावत वकील वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की ओर से

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक– 18.06.2014</u>

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 2468 रकबा 0.01 है0 व ख.नं. 3951/4148 रकबा 0.02 है0 किता 2 कुल रकबा 0.03 है0 अवस्थित है। जिसमें आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 का संयुक्त कब्जा काश्त एवं हक अधिकार रहा है। आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है–

भोपालसिंह (फौत)

↓

गोपालसिंह(प्रति.सं.1)

↓

महेन्द्रसिंह	कल्पनाकंवर	करूणाकंवर	कर्माकंवर
(दतक पुत्र)आवेदक	(पुत्री) अना.सं.3	(पुत्री) अना.सं.4	(पुत्री) अना.सं.5

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

आवेदन की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमियां अनावेदक सं. 1 को उसके पिता भोपालसिंह की विरासत में प्राप्त हुई। इसस कारण उक्त वर्णित भूमि में आवेदक का हक अधिकार निहित है। अनावेदक सं. 1 को अनावेदक सं. 2 ने अपने बहकावे में लेकर एवं अपना निजी फायदा उठाने की गरज से एवं वादी को डिफिट देने की गरज से एवं सांपतिक नुकसान पहुंचाने की गरज से अनावेदक सं. 1 से अनावेदक सं. 2 ने अपने हक में पैत्रिक आराजियात का एक विकय पत्र दिनांक 16.08.2012 को करवा लिया। उक्त विकयय पत्र कानूनन गलत होने से आवेदक के विरूद्ध प्रभावहीन एवं शून्य घोषित किये जाने योग्य है। अनावेदक सं. 1 ने अनावेदक सं. 2 के साथ मिलकर 1,87,000/– रूपये का प्रतिफल बताकर कतई गलत रूप से बिना किसी हक अधिकार के कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर आवेदन की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि आराजियात का गलत विकय पत्र प्रतिवादी सं. 2 के हक में तस्दीक करवा दिया उक्त विकय पत्र दिनांक 16.08.2012 को किया गया विकय पत्र आवेदक के विरूद्ध अवैध, प्रभावहीन एवं शून्य घोषित किये जाने योग्य है। उक्त आराजियात पैत्रिक कृषि संपति होने के कारण आराजी मुतनाजा में आवेदक का हक अधिकार निहित था। आवेदन की चरण सं. 2 में वर्णित भूमियों पर आवेदक का ही कब्जा काश्त है एवं आवेदक के हिस्से के अनुसार पैत्रिक संपति है। इसलिए अनावेदक सं. 1 के द्वारा किये गये विकय पत्र कानूनन रूप से विधिक अधिकारों के विपरीत होने के कारण उक्त विकय पत्र प्रभावहीन एवं शून्य घोषित किये जाने योग्य है। उक्त विकय पत्र बिना कब्जा अंतरण एवं बिना प्रतिफल के तस्दीक करवाया गया होने के कारण एवं अपने हक हिस्से से अधिक का होने के कारण भी अवैध, प्रभावहीन एवं शून्य घोषित किये जाने योग्य हैं। आवेदन की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमियां आवेदक की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमियां है तथा उक्त वर्णित भूमियां पैत्रिक कृषि भूमियां होने के कारण आवेदक का उक्त भूमियों में नोशनल शेयर (हक हिस्सा) है इसलिए आवेदन की चरण सं. 2 में आवेदक का नोशनल शेयर होने के कारण अनावेदक सं. 1 के द्वारा किया गया विकयय पत्र प्रारम्भ से कानूनन रूप से आवेदक के नोशनल शेयर हित उक्त दस्तावेज तैयार होने के कारण भी उक्त विकय पत्र अवैध, प्रभावहीन एवं शून्य घोषित किये जाने योग्य है। आवेदन की मद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमियां पैत्रिक कृषि भूमियां है जिनमें आवेदक का हित निहित होने से, नोशनल शेयर प्राप्त हुआ है तथा उक्त आराजियात में आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 का संयुक्त कब्जा काश्त होने के कारण बिना बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाये अनावेदक सं 1 को विकय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने के कारण उक्त विकय पत्र दिनांक 16.08.2012 अवैध प्रभावहीन एवं शून्य घोषित किया जाना प्रार्थनीय है। आवेदन की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि आराजियात आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 की संयुकत हक हिस्से की मुताबिक पैत्रिक कृषि भूमियां है जिनका आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं हुआ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

है इसलिए अनावेदक सं. 1 के द्वारा अनावेदक सं. 2 के पक्ष में किये गये उक्त विकय पत्र से आवेदक कतई पाबन्द नहीं है। उक्त आराजियात आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 की पैत्रिक कृषि भूमियां है इस कारण आवेदक को उक्त कृषि भूमियों में उनके नेशनल शेयर के हिस्से का अर्थात् 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार के अधिकार प्राप्त है इसलिए आवेदक को उक्त आराजियात मुतनाजा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना प्रार्थनीय हैं तद्हेतु आवेदक द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा का प्रस्तुंत किया गया है। उक्त कृषि आराजियात में आवेदक को 1/5 हिस्से का एवं अनावेदक सं. 1 एवं अनावेदक सं. 3 ता 5 को 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने पर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने तथा आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 के मध्य आवेदक के 1/5 हिस्से एवं अनावेदक सं. 1 व अनावेदक सं. 3 ता 5 के 4/5 हिस्से के मुताबिक बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर पृथक पृथक सींव नींव कायम कर पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावें। अनावेदक सं. 2 उक्त अवैध प्रभावहीन एवं शून्य विकय पत्र की आड़ में लाठी के बल पर जबरदस्ती आवेदक को बेदखल कर कब्जा करना चाहता है एवं अर्सा करीब 15 रोज से भूमाफियाओं को साथ लेकर आवेदक को ऐलानियां अंदाज में धमकी दे रहा है कि हमने उक्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड अपने नाम करवा लिया है एवं उक्त भूमियों को आवासीय प्रयोजन से हमारे चहेते व्यक्तियों को कब्जा करवायेंगे एवं राजस्व रिकार्ड में भी ऐनकेन प्रकारेण तब्दीली करवायेंगे एवं अन्य विकय पत्र तैयार करवायेंगे जिनका अनावेदक सं. 2 को कोई अधिकार नहीं है किन्तु अनावेदक सं. 2 उक्त गलत कुचेष्टा में है इसलिए अनावेदकगण को प्रतिबंधित किया जाना प्रार्थनीय है कि आवेदक की आवेदन की चरण सं. 2 में वर्णित भूमियों में आवेदक के कब्जे काश्त में दखलंदाजी न करें एवं उक्त भूमियों का न ही कोई विकय पत्र या कोई रहन नामा या अन्य किसी भी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कोई दस्तावेज तैयार नहीं करें इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना आवश्यक हो जाने के कारण यह आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना लाजिम आया है। आवेदक/प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मामला सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है और यदि अनावेदकगण आवेदकगण की पैत्रिक संयुक्त कब्जे काश्त की भूमियों में से आवेदक को बेदखल करने, बलात् कब्जा करने, अन्यत्र हस्तांतरण करने, राजस्व रिकार्ड में तब्दीली करवाने या किसी बैंक आदि के रहन रखने, भूमियों की किस्म परिवर्तित करने के अपने कुउद्देश्य में कायमयाब हो गये तो अपूर्तनीय क्षति भी आवेदक को ही होगी जिसकी तलाफी भविष्य में किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें

उपखण्ड अधिकारी

कि आवेदन की चरण सं. 2 में वर्णित आवेदक की संयुक्त कब्जे काश्त एवं हक अधिकार की कृषि आराजियात में से आवेदक के हक हिस्से में हस्तक्षेप करने, बलात् कब्जा करने, पेड़ पौधे काटने, किसी अन्य को बेचान, हस्तांतरण करने, रहन रखने, राजस्व रिकार्ड में तब्दीली करने, भूमियों की किस्म परिवर्तित करने, मौका सूरत बदलने, निर्माण कार्य करने व आवेदक के उपयोग एवं उपभेग में बाधा उत्पन्न करने से तादौराने दावा बाज रहें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनावेदक सं. 6 व 7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की ओर से वकील श्री भवानीसिंह शेखावत हाजिर हुए एवं जवाब आवेदन पेश किया गया। अनावेदक सं. 2 की ओर से आवेदन पत्र का बिन्दुवार जवाब पेश कर विशेष कथन में निवेदन किया है कि अनावेदक/जवाबदाता ने अनावेदक सं. 1 से दिनांक 16.08.12 को उसकी जायन्दा पुत्रियों अनावेदक सं. 3 ता 5 की सहमति से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विवादित भूमियों को पूर्ण प्रतिफल विक्रय राशि 1,87,600 रूपये अदा कर खरीद किया है जिस पर अनावेदक की चारदीवारी बनी हुई है तथा लोहे का गेट लगा हुआ है। आवेदक ने अनावेदक सं. 1 के कोई जायंदा संतान नहीं होने व शारीरिक अस्वस्थता व वृद्धावस्थता का लाभ उठाकर उसकी संपतियों को हड़पने के लिए फर्जी गोदनामा धोखे से करवाया है। आवेदक कभी अनावेदक सं. 1 के गोद नहीं गया तथा न ही उसके साथ पुत्र के रूप में रहा है। अनावेदक सं. 1 की संपतियों को हड़पने की गर्ज से आवेदक ने अपने माता पिता के सहयोग से साजिश पूर्वक गोदनामा करवाया जिसके आधार पर आवेदक कोई सहायता व हक अधिकार नहीं मिल सकते। विवादित भूमियों में से अनावेदक/जवाबदाता ने जो कि उसकी खरीदशुदा कब्जेशुदा भूमियां है। ख.नं. 3951/4143 रकबा 0.02 है0 में से एक त्रिभुजाकर आवासीय भूखण्ड रकबा 534.69 वर्गफीट भूमि रामोतार, छीतरमल, रमेशकुमार पुत्रगण दामोदर प्रसाद को दिनांक 10.09.12 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया जिन पर उक्त केतागण के आवासीय मकान दुकान आदि बने हुए है। अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावें। अनावेदक सं. 1, 3 ता 5 ने आवेदन पत्र का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर विशेष कथन में निवेदन किया है कि अनावेदक सं. 1/जवाबदाता के कोई जायंदा पुत्र संतान नही है। अनावेदक सं. 1 के अनावेदक सं. 3 ता 5 जायन्दा पुत्रियां है। आवेदक ने अनावेदक सं. 1 की संपतियों को हड़पने की गर्ज से उसकी वृद्धावस्था व शारीरिक अस्वस्थता का लाभ उठाकर मुख्त्यार नामे के बहाने छल कपट व धोखे से बेईमानी पूर्वक गोदनामे पर हस्ताक्षर करवाकर अपने माता पिता के सहयोग से अपने हक में गोदनामा पंजीकृत करवा लिया जिसकी जानकारी होते ही अनावेदक सं. 1 ने आवेदक के विरूद्ध एक दावा मु.नं. 10/12 बउनवानी गोपाल सिंह बनाम महेन्द्र

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

सिंह आदि पेश किया जो न्यायालय सिविल न्यायाधीश दांतारामगढ के यहां विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 29.07.13 नियत है। साथ ही वादी व उसके माता पिता के विरूद्ध पुलिस थाना दांतारामगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 60/12 अन्तर्गत धारा 420, 465, 120–बी आईपीसी दर्ज करवाई। जिसमें बाद तफ्तीश पुलिस थाना दांतारामगढ द्वारा आवेदक व उसके माता पिता के विरूद्ध धारा 420, 465, 120–बी आईपीसी में चालान पेश किया है जो मुकदमा नं. 29/13 बउनवानी सरकार बनाम भंवरसिंह वगै. न्यायालय एसीजेएम दांतारामगढ में लम्बित है जिसमें आगामी तारीख पेशी 25.05.13 नियत है। आवेदक झूंठे मुकदमेंबाजी कर अनावेदक/जवाबदाता को हैरान व परेशान कर बलपूर्वक जवाबदाता की संपतियों को हड़पने की कुचेष्टा में है। आवेदक कभी भी अनावेदक सं. 1 के पास नहीं रहा वह जन्म से ही अपने माता पिता के साथा जायन्दा पुत्र के रूप में रहा है वही उसकी शिक्षा शादी विवाह हुए है। अनावेदक सं. 1 से आवेदक को बतौर दतक पुत्र कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। अनावेदक सं. 1 के परिवार राशन कार्ड में आवेदक का कभी नाम अंकित नहीं रहा है। आवेदक के मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक रिकार्ड मतदाता सूची व अन्य दस्तावेजात में उसके प्राकृतिक पिता भंवरसिंह का नाम अंकित है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक ने अनावेदक/जवाबदाता की संपतियों को हड़पने की नियत से यह आधारहीन झूंठा आवेदन पेश किया है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने परिवार राशन कार्ड गोपालसिंह, परिवार राशन कार्ड भंवरसिंह, पहचान पत्र महेन्दसिंह, पैन कार्ड महेन्द्रसिंह, मतदाता सूची, खाटू ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. खाटू सदस्य ऋण महेन्द्रसिंह, विक्रय पत्र जरिये नॉटरी पब्लिक की फोटो प्रतियां पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी गोपालसिंह अनावेदक सं. 1 का दतक पुत्र है तथा विवादित आराजियात ख.नं. 2468 व 3951/4148 किता 2 कुल रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी में आवेदक का हक अधिकार निहित है। अनावेदक सं. 1 को अनावेदक सं. 2 ने अपने बहकावे में लेकर प्रार्थी को डिफिट देने की गरज से एवं सापंतिक नुकसान पहुंचाने की गरज से पैत्रिक आराजियात का एक विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2012 को करवा लिया। भूमियां पैत्रिक होने के कारण नोशनल शेयर आवेदक का है। उक्त आराजियात संयुक्त कब्जा काश्त की होने के कारण बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाये विक्रय पत्र अवैध, प्रभावहीन एवं शून्य घोषित होने योग्य है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सुदृढ है तथा संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल किये जाने से अपूरतनीय क्षति प्रार्थी को होगी। इसलिए अप्रार्थीगण को तादौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 ने

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

बहस के दौरान आवेदन के जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात अनावेदक सं. 1 की कब्जे काश्त व खातेदारी शुदा भूमियां है जिनको अनावेदक सं. 1 ने अनावेदक सं. 3 ता 5 की सहमति से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 16.08.2012 को अनावेदक सं. 2 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया जहां अनावेदक सं. 2 की चारदीवारी मय गेट बना हुआ है अब उक्त भूमियां अनावेदक सं. 2 के कब्जे व अधिकार में है तथा अनावेदक सं. 3 ता 5 अनावेदक सं. 1 की जायंदा पुत्रियां है। अनावेदक सं. 1 व उसके पिता के सजरा खानदान में आवेदक ने अपना नाम दतक पुत्र के रूप में कतई गलत रूप से अंकित किया है। अनावेदक सं. 1 व 3 ता 5 के परिवार से आवेदक का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। आवेदक ने मुख्त्यारनामे के बहाने धोके से अपने पिता के सहयोग से गोदनामे पर हस्ताक्षर करवा लिये। विवादित भूमियां आवेदक की पैत्रिक भूमियां नहीं है तथा न ही विवादित भूमियों में आवेदक का हक हिस्सा है। अनावेदक सं. 1 ने अपनी खातेदारी शुदा व कब्जे काश्त शुदा भूमियों का विक्रय पत्र पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर अनावेदक सं. 2 को किया है तथा कब्जा संभला दिया है ऐसी स्थिति में आवेदक जो कि विवादित भूमियों का न तो खातेदार है तथा न ही काबिज काश्त है। आधारहीन वाद की आड़ में किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आवेदक का प्रथमदृष्टया मामला भी नहीं बनता है। विवादित भूमियों पर अनावेदक का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में कोई अपूर्तनीय क्षति भी आवेदक को नहीं होगी तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में नहीं है। इसलिए आवेदक का आवेदन खारिज फरमाया जावें। अनावेदक सं. 1 गोपालसिंह द्वारा महेन्द्रसिंह आदि के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) दांतारमागढ में गोदनामे को निरस्त करवाने हेतु दावा व टीआई पेश की गई है माननीय न्यायालय आवेदन पत्र अं. आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी में आदेश दिनांक 29.07.2013 के द्वारा प्रार्थी गोपाल सिंह का आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण प्रार्थी की संपति व अन्य संपदा में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करने के आदेश दिये है। श्रीमती कल्पना कंवर पुत्री गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी खाटूश्यामजी के द्वारा इस्तगासा धारा 156(3) जा.फौ. न्यायालय में पेश होने पर उक्त इस्तगासा की जांच थानाधिकारी, दांतारामगढ द्वारा की जाकर थानाधिकारी, पुलिस थाना, दांतारामगढ ने चार्जशीट नं. 148/2012 धारा 420, 465, 120 बी भादस बर खिलाफ मुल्जिमान भंवरसिंह पुत्र पाबूदानसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह, श्रीमती सज्जनकंवर पत्नी भंवरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खाटूश्यामजी के विरूद्ध पेश की गई है।

4. हमने उभय पक्ष की योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत्

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

2063–65 खाता सं. 151 खसरा नं. 2468 व 3951/4148 किता 2 कुल रकबा 0.03 है0 की खातेदारी गोपालसिंह पुत्र भोपालसिंह के नाम से है जिसका बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2012 के द्वारा मोहनसिंह (दास) चौहान पुत्र श्री पाबूदानसिंह को किया गया है। विवादित भूमि के पैत्रिक संपति का दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है। अनावेदक सं. 1 गोपालसिंह द्वारा महेन्द्रसिंह आदि के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) दांतारमागढ में गोदनामे को निरस्त करवाने हेतु दावा व टीआई पेश की गई है माननीय न्यायालय आवेदन पत्र अं. आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी में आदेश दिनांक 29.07.2013 के द्वारा प्रार्थी गोपाल सिंह का आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण प्रार्थी की संपति व अन्य संपदा में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करने के आदेश दिये है। श्रीमती कल्पना कंवर पुत्री गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी खाटूश्यामजी के द्वारा इस्तगासा धारा 156(3) जा.फौ. न्यायालय में पेश होने पर उक्त इस्तगासा की जांच थानाधिकारी, दांतारामगढ द्वारा की जाकर थानाधिकारी, पुलिस थाना, दांतारामगढ ने चार्जशीट नं. 148/2012 धारा 420, 465, 120 बी भादस बर खिलाफ मुल्जिमान भंवरसिंह पुत्र पाबूदानसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह, श्रीमती सज्जनकंवर पत्नी भंवरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खाटूश्यामजी के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त विवादित आराजियात अनावेदक सं. 1 द्वारा अनावेदक सं. 2 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2012 के द्वारा बेचान हो चुकी है। वकील प्रार्थी विवादित आराजियात को पैत्रिक साबित करने में सफल नहीं हुए है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने से अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी को न होकर अप्रार्थीगण को होगी। अतः उपरोक्त विवरण अनुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 18.06.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ